न्यालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/नीमच/भू.रा./2017/3670 विरूद्ध आदेश दिनांक 23-8-17 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण क्रमांक 55/अपील/15-16.

---

1. दीपक पिता यशवंतसिंह उर्फ यशराजसिंह चौधरी
2. दिनेश पिता यशवंतसिंह उर्फ यशराजसिंह चौधरी

निवासी खेड़ी मोहल्ला हाल मुकाम दिल्ली .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन
2. मुस्तकीम पिता हाजी मक्कबूल हुसैन

निवासी बं.न.11, नीमच केंट नीमच

3. धनसिंह उर्फ तुलजाराम पिता हरिसिंह जड़िया

निवासी हुड़को कॉलौनी, नीमच केंट नीमच .....अनावेदकगण

श्री कैलाश जोशी, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री पी.जी. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 2 व 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/7/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित दिनांक 23-8-17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा ग्राम झांझरवाड़ा स्थित प्रश्नाधीन भूमि पर सर्वे क्रमांक 108 रकबा 5.525 हेक्टेयर नवीन खसरा नम्बर 141 रकबा 5.230 हेक्टेयर पर वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण हेतु संहिता की धारा 109, 110 के

अन्तर्गत आवेदन पत्र तहसीलदार नीमच के समक्ष की प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/अ-6/2012-13 दर्ज कर दिनांक 22-5-13 को आदेश पारित कर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, नीमच के प्रस्तुत प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 50/अपील/2012-13 में दिनांक 8-5-2014 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 55/अपील/15-16 में दिनांक 23-8-17 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार से उठायें गये है:-

(1) आवेदकगण द्वारा अपने दादा उदय सिंह चौधरी द्वारा की गई वसीयत दिनांक 4-9-87 के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 141 रकबा 5.230 हेक्टेयर पुराना सर्वे क्रमांक 108 रकबा 5.225 हेक्टेयर पर नामान्तरण चाहा गया है।

(2) इसी कृषि भूमि का एक अंश स्व. सरेकुंवर एवं नरेन्द्र सिंह द्वारा धनसिंह वर्मा एवं मुस्तकीम को दिनांक 7-12-2013 को विक्रय किया गया है, जिसका उल्लेख भी वसीयत में है ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा जिस बटवारा दिनांक 25-7-2007 के आधार सन् 2008-09, 2010-11, 2011-12 में उक्त भूमि में से 1.310 हेक्टेयर प्रताप सिंह पिता उदय सिंह, रकबा 1.30 हेक्टेयर नरेन्द्र सिंह पिता लक्ष्मणसिंह तथा सरेकुंवर विधवा नरेन्द्र सिंह तथा चौथा हिस्सा 1.300 हेक्टेयर बलवीर सिंह, विरेन्द्र सिंह पिता शक्ति सिंह के नाम पर दर्ज किया गया है । उक्त बटवारा आदेश एक तर्फा रूप से किये जाने से उसे जिला न्यायाधीश, नीमच के समक्ष व्यवहार वाद क्रमांक 5ए/2013 में चुनौती दी गई है । इस प्रकार जब स्वयं नरेन्द्र सिंह व सरेकुंवर ने दिनांक 4-9-87 की वसीयत के आधार पर दिनांक 19-11-2012 को आवेदकगण के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किया है, उक्त विक्रय पत्र आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, परन्तु उस पर कोई निराकरण नही किया गया । उक्त दस्तावेज को विचारार्थ लेने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस वसीयत को वे स्वयं

स्वीकार कर रहे हैं, उसके आधार पर स्वत्व प्राप्त कर विक्रय कर रहे हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता, अत: विबंधन का सिद्धान्त लागू होता है ।

(4) वैसे भी वसीयत दिनांक 4-9-87 वाले प्रकरण में आपत्तिकर्ता नरेन्द्र सिंह व सरेकुंवर के वारिसान को कोई भी स्थिति स्थल नहीं है और धन सिंह एवं मुस्तकीम को तो कथित वसीयत के बारे में आपत्ति करने अथवा विवादित करने की पात्रता ही नहीं है, क्योंकि यह चौधरी परिवार का आंतरिम मामला है ।

(5) वैसे भी जहां स्वत्व का वाद प्रस्तुत कर दिया जाकर जटिल प्रश्न एवं तथ्य प्रश्नास्पद हैं, वहां नामान्तरण को रोका जाना चाहिए ।

(6) अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने केवल तहसीलदार के आदेश को यथावत अपने आदेश में लिख दिया है, उनके द्वारा अपने मस्तिष्क प्रयुक्त नहीं किया है । यह सत्य है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण किया जाना सामान्य प्रक्रिया है, परन्तु जहां स्वत्व का वाद प्रस्तुत कर स्वत्व के जटिल प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं, वहां नामान्तरण करने के पश्चात यदि नामांतरित व्यक्ति तृतीय पक्षकार को प्रश्नाधीन भूमि विक्रीत, अंतरित कर देते हैं तो व्यर्थ की वादकारिता होती है, क्योंकि नामांतरण से पक्षकार को विक्रय करने की पात्रता आ जाती है तथा आपत्तिकर्ता/क्रेतागण धन सिंह व मुस्तकीम वास्तविक कृषक नहीं होकर केवल व्यापारी हैं, इस कारण समग्रता से प्रकरण का अवलोकन करने पर तथा स्वत्व का जटिल प्रश्न उत्पन्न हो जाने पर नामान्तरण स्थगित किया जाना ही श्रेयस्कर होगा । जहां तक राजस्व हानि का प्रश्न है, आवेदकगण न्यायालय के आदेशानुसार समस्त बकाया राशि अदा करने हेतु वचनबद्ध हैं जो व्यवहार वाद के लम्बानकारक में भी जारी रहेगी।

तर्कों के समर्थन में 2011 आर.एन. 342,1990 आर.एन.28, 169 एवं 1989 आर.एन. 211 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक क्रमांक 2 व 3 की ओर से मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) कृषि भूमि सर्वे नंबर 141 रकबा 5.23 हेक्टेयर स्वर्गीय उदयसिंह चौधरी को उसके पिता से पूर्वजों की संपत्ति बंटवारे में प्राप्त हुई थी, उनमें से उपरोक्त सर्वे नंबर 141 भी संयुक्त परिवार

की पूर्वजों की संपत्ति थी और उक्त संपत्ति को विक्रय करने, वसीयत करने का एकमात्र अधिकार उदयसिंह चौधरी को नहीं था।

(2) उदयसिंह चौधरी का स्वर्गवास हो जाने के बाद समस्त कृषि भूमियों पर उदयसिंह के समस्त पुत्रों का नाम विधिवत राजस्व अधिकारी द्वारा नामांतरण किया गया, जिसमें भूमि सर्वे नंबर 141 रकबा 5.23 हेक्टेयर भी सम्मिलित है और उदयसिंह के स्वर्गवास हो जाने के बाद उनके समस्त पुत्रों का आधिपत्य हुआ।

(3) उनके समस्त पुत्रों के नाम उक्त सर्वे नंबर 141 रकबा 5.23 हेक्टेयर का बंटवारा करने हेतु एक पुत्र द्वारा राजस्व न्यायालय, नीमच में बटवारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर राजस्व न्यायालय द्वारा दिनांक 25-7-2007 को संहिता की धारा 178 के अंतर्गत बटवारा आदेश पारित किया जाकर प्रतापसिंह, यशराजसिंह, नरेन्द्रसिंह पिता लक्ष्मणसिंह, बलवीरसिंह आदि के नाम चार भागों में सर्वे नम्बर 141 रकबा 5.23 हेक्टेयर का बंटवारा किया गया और फर्द कायम हुई तथा प्रत्येक के हिस्से में 1.31 हेक्टेयर भूमि का बंटवारा किया जाकर राजस्व कागजात में उनके नाम दर्ज किये गये । उक्त भूमि सर्वे नं. 141 में से रकबा 1.31 हेक्टेयर पर नरेन्द्रसिंह एवं सरेकुँवर का दिनांक 07.01.2013 तक स्वत्व एवं आधिपत्य रहा । नरेन्द्रसिंह व सरेकुँवर को रूपयों की आवश्यकता होने से उनके द्वारा उक्त कृषि भूमि का विक्रय विधिवत दिनांक 07.01.2013 को रजिस्ट्रार, नीमच के न्यायालय में उपस्थित रहकर क्रेता मुस्तकीम एवं धनसिंह उर्फ तुलजाराम वर्मा के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किया गया और मौके पर वास्तविक रूप से आधिपत्य भी विक्रेता द्वारा दिया गया तथा उसकी समस्त राशि भी विक्रय पत्र अनुसार विक्रेता द्वारा क्रेता से प्राप्त की गई। विक्रय पत्र के बाद क्रेतागण द्वारा तहसीलदार के समक्ष विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पेश किया, जिसमें विधिवत सुनवाई की जाकर आवेदकगण की आपत्ति निरस्त कर क्रेतागण के नाम नामांतरण किया गया और राजस्व कागजातों में भी इन्द्राज किया गया, जिस संबंध में कागजात प्रकरण में पेश किये गये हैं।

(4) दीपक एवं दिनेश द्वारा तहसीलदार के समक्ष आपत्ति की थी, लेकिन आपत्ति किसी भी प्रकार से दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हुई और विक्रय पत्र जो रजिस्टर्ड है, को मान्य कर आपत्ति निरस्त हुई, जो सही है और उक्त नामांतरण कार्यवाही के विरूद्ध आवेदकगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जो निरस्त हुई हैं, जिसके विरूद्ध यह निगरानी भी सारहीन एवं अवैधानिक होने से निरस्त किए जाने योग्य

है । आवेदकगण ने अनुचित रूप से लाभ प्राप्त करने एवं क्रेतागण पर दबाव बनाने की नीयत से इस न्यायालय में निगरानी पेश की है, जो आधारहीन होकर विधि विरूद्ध है।

(5) आवेदकगण की ओर से आपत्ति राजस्व अधिकारी के समक्ष आधारहीन प्रस्तुत की थी और आवेदक की ओर से यह बताया गया था कि दिनांक 04.09.1987 को उदयसिंह द्वारा एक वसीयत आवेदकगण के पक्ष में की गई थी, लेकिन आवेदकगण की ओर से प्रकरण में असल वसीयत पेश नहीं की, प्रमाणित नहीं की और इस बावत् कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई, अत: राजस्व न्यायालय द्वारा आवेदकगण की आपत्ति अवैधानिक होने से निरस्त की गई है, जो कि विधि अनुकूल होकर कायम रखने योग्य है ।

(6) स्व. उदयसिंह चौधरी का स्वर्गवास दिनांक 13.09.1989 को होना बताया जा रहा है और उक्त दिनांक के बाद से ही आवेदकगण द्वारा विक्रय दिनांक 07.01.2013 तक उक्त तथाकथित वसीयत दिनांक 04.09.1987 अपंजीयक के आधार पर (असल वसीयत प्रकरण में पेश ही नहीं हुई) राजस्व कागजात में अपना नामांतरण किये जाने बावत् कोई कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि तथाकथित वसीयत सम्पादित हुई ही नहीं और फर्जी रूप से वसीयत का आधार बताया गया है, जो विधि अनुकूल मान्य नहीं किया जा सकता। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो फर्द बंटवारा आदेश दिनांक 25.07.2007 को राजस्व न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त स्वीकृति में बंटवारा लेख में आवेदकगण के पिता यशराजसिंह पिता उदयसिंह चौधरी को भी सर्वे नम्बर 141 रकबा 5.23 हेक्टेयर भूमि में से 1.31 हेक्टेयर भूमि बंटवारा करके पुत्र होने से दी गई है और सभी पुत्रों को समान रूप से दी गई है। यदि वास्तव में तथाकथित वसीयत सम्पादित की हुई होती तो निश्चित ही आवेदकगण के पिता यशराजसिंह को उसकी जानकारी होती और फ़र्द बंटवारा के समय निश्चित ही आपत्ति दर्ज की जाती है, लेकिन ऐसी कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई । आवेदकगण द्वारा दिनांक 07.01.2013 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रेतागण के नाम विधिवत हो जाने के बाद अनुचित लाभ लेने की नीयत से नामांतरण कार्यवाही में आपत्ति की गई, जो सारहीन और विधि अनुकूल नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। दिनांक 04.09.1987 को वसीयत सम्पादित होना कहा जा रहा है, लेकिन उक्त वसीयत के आधार पर आवेदकगण की ओर से राजस्व न्यायालय में स्व. उदयसिंह चौधरी के स्वर्गवास होने के बाद नामांतरण हेतु कार्यवाही नहीं की गई तथा उदयसिंह के चारों पुत्रों की ओर विधिवत सुनवाई की जाकर नामांतरण पुत्रों के नाम किया गया और काफी समय बाद संयुक्त रूप से कायम कृषि भूमियों का बंटवारा अलग-अलग नाम से किये जाने का आदेश दिनांक 25.07.2007 को राजस्व

न्यायालय द्वारा दिया गया है। उसकी कार्यवाही में भी कोई आपत्ति आवेदकगण की ओर से नहीं की गई, क्योंकि तथाकथित वसीयत अस्तित्व में ही नहीं थी और बाद में अनुचित लाभ लेने की नीयत से फर्जी रूप से वसीयत बताई गई, लेकिन उक्त वसीयत किसी भी प्रकार से विधि अनुकूल प्रमाणित नहीं की गई है तथा असल वसीयत प्रस्तुत नहीं की गई। स्व. उदयसिंह चौधरी के स्वर्गवास के बाद नामांतरण कार्यवाही एवं बाद में बंटवारा स्वीकृत कार्यवाही में हुए आदेश के विरूद्ध भी आवेदकगण की ओर से कोई अपील सक्षम न्यायालय में नहीं की गई, अत: उक्त आदेश अभी भी कायम है और आवेदकगण पर बंधनकारक है । अत: आवेदकगण का किसी प्रकार का कोई स्वत्व विवादग्रस्त भूमि में नहीं है और वसीयत के आधार पर भी प्रमाणित नहीं है, इसलिए अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा क्रेतागण के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया है, जो विधि अनुकूल होकर स्थिर रखे जाने योग्य है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निरस्त की गई है,इसलिए आवेदकगण की यह निगरानी संव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण में दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं और आवेदकगण की निगरानी सारहीन तथा विधि विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है एवं आवेदेकगण से अनावेदकगण को हर्जा, खर्चा व वाद व्यय स्वरूप रू. 50,000/- रूपये दिलवाना जाना भी न्यायोचित है।

(7) नरेन्द्र सिंह चौधरी का स्वर्गवास दिनांक 25.07.2014 एवं उनकी माता सरेकुँवर चौधरी का स्वर्गवास भी दिनांक 25.07.2014 को हुआ है और उन दोनों के वारिस अभी भी हैं, जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया है और प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाने के कारण यह निगरानी अबेट हो होने से प्रथम दृष्टि में ही निरस्त होने योग्य है। नरेन्द्र सिंह एवं सरेकंवर प्रकरण में आवश्यक पक्षकार रहे हैं और उनके द्वारा ही उनके स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि अनावेदक क्रमांक 2 मुस्तकीम व अनावेदक क्रमांक 3 धनसिंह को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय की जाकर आधिपत्य क्रेता को सौंपा गया है किन्तु मृतकों के वारिसान को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है और यह निगरानी संव्यय निरस्त होने योग्य है।

(8) दीपक आदि की ओर से अवधि बाधित निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जो प्रथम दृष्टि में ही निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक की ओर से लापरवाही पूर्वक जानकारी होते हुए भी निगरानी निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं की गई है और निरस्त किये जाने योग्य है।

तर्कों के समर्थन में 1981 रेवेन्यू निर्णय 277, 1984 रेवेन्यू निर्णय पेज 5, 1984 रेवेन्यू निर्णय पेज 96 एवं 1994 (I) MPWN 186 न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख में संलग्न वसीयत के अवलोकन से स्पष्ट है कि वसीयतकर्ता स्व. चौधरी उदयसिंह द्वारा उसे बटवारे में प्राप्त सम्पत्ति का आवेदकगण के पक्ष में वसीयत निष्पादित किया है, जिसके आधार पर आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष मृतक वसीयतकर्ता के स्थान पर उनका नामान्तरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है । आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष नामान्तरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में यह भी उल्लेखित किया गया था कि आवेदकगण वसीयत के समय नाबालिग थे और उक्त वसीयत की जानकारी उन्हें पारिवारिक चर्चा के दौरान हुई, जबकि वसीयतकर्ता के अन्य वारिसान को आवेदकगण के पक्ष में निष्पादित वसीयत की जानकारी होते हुए भी उनके द्वारा आवेदकगण के पक्ष में निष्पादित वसीयत के तथ्य को छिपाते हुए दिनांक 25-7-2007 को बटवारा करा लिया गया है, जिसकी जानकारी आवेदकगण को नहीं थी, इसलिए बटवारा प्रकरण में पारित आदेश उन पर बन्धनकारी नहीं है । वसीयतकर्ता के पुत्र स्व. प्रताप सिंह के वारिसानों द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का नामान्तरण करने में सहमति दी गई है, जिसके खण्डन में तहसीलदार द्वारा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला है, जिस पर दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है । वसीयतकर्ता स्व. चौधरी उदयसिंह द्वारा वारिसानों के पक्ष में भी मकानों एवं अन्य सम्पत्ति का वसीयत निष्पादित की गई है, जिसके आधार पर उन्हें स्वत्व प्राप्त हुए हैं, जिस पर वसीयतकर्ता के किसी भी वारिसान को कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु यह है कि जब अन्य वारिसान के पक्ष में निष्पादित वसीयत सही है तब आवेदकगण के पक्ष में निष्पादित वसीयत भी सही है । अत: आवेदकगण के इस तर्क को बल मिलता है कि जिस वसीयत को वसीयतकर्ता के वारिसान द्वारा स्वयं स्वीकार कर उसके आधार पर स्वत्व प्राप्त कर भूमि विक्रय कर रहे हैं, उक्त वसीयत को नकारा नहीं जा सकता । अत: तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है और तहसील न्यायालय के त्रुटिपूर्ण आदेश को यथावत रखने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी भूल की गई है । जहां तक अनावेदक क्रमांक 2 एवं 3 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र का प्रश्न है । जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है जब विक्रेता को ही हक नहीं था तो क्रेता को कैसे हक प्राप्त होगा । 2012 आर.एन. 118 नरेन्द्र सिंह तथा अन्य विरूद्ध

भगवान सिंह में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 109 तथा 110-बिना हक के नामांतरण आदेश-ऐसा आदेश किसी प्रकार का हक प्रदान नहीं करता ।"

वैसे भी उक्त विक्रय पत्र को व्यवहार न्यायालय में आवेदकगण द्वारा चुनौती दी गई है और व्यवहार न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, वह उभय पक्ष एवं राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होगा । उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थिति में अनावेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-5-13, अनुविभागीय अधिकारी, नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-5-2014 एवं अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित दिनांक 23-8-17 निरस्त किये जाते हैं । तहसीलदार वसीयतनामें के आधार पर आवेदकगण का नामांतरण प्रश्नाधीन भूमि पर करने की कार्यवाही करें। निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर